**दिल्ली विकास प्राधिकरण**

11 मार्च, 2016 को 10.00 बजे राज निवास, दिल्ली में आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थेः

**अध्यक्ष**

 श्री नजीब जंग

 उपराज्यपाल, दिल्ली

**उपाध्यक्ष**

 श्री अरूण गोयल

**सदस्य**

1. श्री वेंकटेश मोहन

वित्त सदस्य, दिविप्रा

1. श्री अभय सिन्हा

अभियंता सदस्य, दिविप्रा

1. श्री दुर्गा शंकर मिश्रा

अपर सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

1. श्री बी.के.त्रिपाठी

सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी

1. श्री विजेंदर गुप्ता, विधायक एवं

रा.रा.क्षे., दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष

1. श्री सोमनाथ भारती, विधायक
2. श्री एस.के.बग्गा, विधायक
3. ओ.पी.शर्मा, विधायक
4. श्री सतीश उपाध्यक्ष

निगम पार्षद, दक्षिण दिल्ली नगर निगम

**सचिव**

 श्री डी.सरकार

 आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

**विशेष आमंत्रिती एवं वरिष्ठ अधिकारी**

1. श्री जे.पी.अग्रवाल

प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान और आवास), दिविप्रा

1. श्री श्रीपाल

प्रधान आयुक्त (भूमि प्रबंधन, कार्मिक और प्रणाली), दिविप्रा

1. श्रीमती स्वाति शर्मा

उपराज्यपाल, दिल्ली के अपर सचिव

1. डॉ. (श्रीमती) सिमी मल्होत्रा

उपराज्यपाल, दिल्ली के सलाहकार (संचार, शैक्षणिक, कला, संस्कृति एवं भाषा)

1. श्री आर.एन.शर्मा

उपराज्यपाल, दिल्ली के विशेष सचिव

1. श्री अजय चौधरी

उपराज्यपाल, दिल्ली के विशेष कार्य अधिकारी

1. श्री पी.के.गुप्ता

आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

1. श्री मोहनजीत सिंह

आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

1. श्री पुनीत गोयल

आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

1. श्री ए.अनबरासू

सचिव (यूडी) रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार

1. श्री एस.पी.पाठक

आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा.

1. श्री एम.के.गुप्ता

आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा.

1. श्री सुबु आर

आयुक्त (भूमि निपटान), दि.वि.प्रा.

1. श्री अनिल कुमार शर्मा

मुख्य विधि सलाहकार, दि.वि.प्रा.

1. श्री मृनल कांत त्रिपाठी

निदेशक (डीडी), (एम.ओ.यू.डी.)

1. श्री संतोष कुमार

मुख्य लेखा अधिकारी, दि.वि.प्रा.

1. श्री अजय गुप्ता

मुख्य अभियंता (उत्तरी ज़ोन), दि.वि.प्रा.

1. श्री विनोद धर

मुख्य वास्तुकार, दि.वि.प्रा.

1. श्री अमित कुमार दास

अपर आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा.

1. श्री चंदु भुटिया

निदेशक (योजना), दि.वि.प्रा.

1. श्री एल.डी.जोशी

उप सचिव (वित्त), रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार

1. श्रीमती नीमो धर

सलाहकार (जन संपर्क), दि.वि.प्रा.

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित सभी प्राधिकरण सदस्य, विशेष आमंत्रितीयों और वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।

**मद सं 26/2016**

**राजनिवास में 17.02.2016 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि**

**एफ.2(2)2016/एमसी/डीडीए**

 17.02.2016 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त की निम्नलिखित संशोधनों के साथ पुष्टि की गईः-

 दिल्ली एकीकृत उपविधि 2016 के संबंध में एजेंडा मद सं. 11/2016 के लिए कार्यवृत्त में निम्नलिखित पंक्ति जोड़ी जाएः-

 “दि.वि.प्रा. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदन के बाद भवन उपविधि को अधिसूचित करेगा।”

**मद सं 27/2016**

**05.11.2015 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।**

**एफ.2(3)2015/एमसी/डीडीए**

05.11.2015 को आयोजित प्राधिकरण की बैठख के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई नोट की गई।

**मद सं 28/2016**

**स्टेट भवन/स्टेट गेस्ट हाउस के लिए एक पृथक श्रेणी को शामिल करने के लिए दिल्ली मुख्य योजना-2021 में प्रावधानों की समीक्षा।**

**एफ.20(09)2015/एमपी**

 डीयूएसी, एनडीएमसी, दि.मु.यो.-2021 के संगत प्रावधानों और ज़ोन ‘डी’ के अनुमोदित ज़ोनल विकास योजना की रिपोर्ट के (दिनांक 01.10.1999 को अनुमोदित) साथ एजेंडा मदों पर विस्तार में विचार-विमर्श किया गया।

निम्नलिखित निर्णय लिए गएः

1. दि.मु.यो. 2021 के अनुसार, केवल निम्नलिखित क्षेत्रों को विशेष अभिलक्षणों के कारण विकास नियंत्रण मानदंड को अपनाने से बाहर किए गए।

-लुटियन्स बंग्लो ज़ोन (एलबीजेड)

-सिविल लाइन्स बंग्लो क्षेत्र

-दि.मु.यो.-2021 में यथा वर्णित विशेष क्षेत्र

उत्तरी दिल्ली नगर निगम 2007 से उपयोग ज़ोन आरडी-आवासीय क्षेत्र, जोन डी के उप जोन डी-13 में गैर-एलबीजेड प्लॉटों के लिए दि.मु.यो.-2021 के विकास नियंत्रण मानदंडों का अनुसरण कर रहा हैः जैसा कि दि.मु.यो.-2021 के अध्याय 17.0 के खंड 4.0 के अंतर्गत वर्णित।

चूंकि, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जिसके द्वारा दि.मु.यो. 2021 के विकास नियंत्रण मानदंडों को अपनाने से ज़ोन-डी के उपज़ोन डी-13 को बाहर किया जाए इसलिए दि.मु.यो.-2021 के विकास नियंत्रण मानदंड पूर्णतः ज़ोन-डी में लागू है जिसमें उप-ज़ोन डी-13 शामिल है परन्तु एलबीजेड शामिल नहीं है।

1. डी.यू.ए.सी. ने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया है कि 26 मीटर की ऊंचाई तक के स्टेट गेस्ट हाउस ज़ोन-डी के उप-ज़ोन डी-13 में विद्यमान हैं। डीयूएसी के अनुसार, “26 मीटर की ऊंचाई को शहरी दृष्टि से जांचा गया और उसे स्वीकार्य पाया गया।”

डी.यू.ए.सी. की इस सिफारिश और ज़ोन-डी के उप-ज़ोन डी-13 में मौजूदा भवनों की ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि डी.यू.ए.सी. द्वारा बताया गया है कि उपयोग ज़ोन के लिए आर.डी- आवासीय क्षेत्र परन्तु दि.मु.यो.-2021 के अध्याय 17.0 के खंड 4.0 के अंतर्गत यथा वर्णित फॉरन मिशन को छोड़कर ज़ोन-डी के उप-ज़ोन डी-13 में 26 मीटर की ऊंचाई तय करने का निर्णय लिया गया।

1. उपयोग ज़ोन के लिए ऊंचाईः उपयोग ज़ोन आवासीय के अंतर्गत आर एफ-फॉरन मिशन को ज़ोन-डी के जे.डी.पी. के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। दि.मु.यो.-2021 के अनुसार प्रारूप जेडीपी (एलबीजेड के अलावा) को 12.12.2014 को मद सं. 72/2014 के द्वारा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और प्राधिकरण के विचारार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमोदन के लिए पीएमओ को आगे प्रस्तुत करने के लिए 30.04.2015 को शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया।

प्राधिकरण ने निम्नलिखित संशोधनों की सिफारिश कीः

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ज़ोन-डी के अधिसूचित ज़ेड डी पी के विद्यमान पैरा 7.3**  | **मद सं. 72/2014 के अनुसार प्रस्तावित पैरा 30.04.2015 को शहरी विकास मंत्रालय को प्रेषित** | **प्राधिकरण की सिफ़ारिशें**  |
| **7.3 फ़ोरन मिशन और स्टेट गेस्ट हाउस** “यह ज़ोन राष्ट्रपति भवन के दक्षिण पश्चिम की ओर सुंदर तरीके के नियोजित किया गया है, जो कि वृक्षीय और प्रतिष्ठित वातावरण में विभिन्न विदेशी मिशनों का समायोजन करता है। इन क्षेत्रों में और भी कई विकास कार्य किए गए हैं। विदेशी मिशन हेतु लागू और अर्बन डिजाइन स्टडीज पर आधारित दि.मु.यो.-2001 के मानदंडों की अनुपालना इस उप-जोन के प्लीजेंट गार्डन सिटी के रख-रखाव हेतु की जानी चाहिए। | **5.4.4 फ़ोरन मिशन** यह ज़ोन राष्ट्रपति भवन के दक्षिण पश्चिम की ओर सुंदर तरीके के नियोजित किया गया है, जो कि वृक्षीय और प्रतिष्ठित वातावरण में विभिन्न विदेशी मिशनों का समायोजन करता है। इन क्षेत्रों में और भी कई विकास कार्य किए गए हैं। विदेशी मिशन हेतु लागू और अर्बन डिजाइन स्टडीज पर आधारित दि.मु.यो.-2001 के मानदंडों की अनुपालना इस उप-जोन के प्लीजेंट गार्डन सिटी के रख-रखाव हेतु की जानी चाहिए।5.4.4 स्टेट गेस्ट हाउसेस इस ज़ोन में कई स्टेट गेस्ट हाउसेस स्थित हैं। एल बी ज़ेड क्षेत्र के बाहर स्थित स्टेट गेस्ट हाउसेस दिमुयो-2021 के मानदंडों द्वारा शासित किए जाएंगे।  | **उपयोग ज़ोन आर एफ- फ़ोरन मिशन** उपयोग ज़ोन आर एफ- फ़ोरन मिशन यह ज़ोन राष्ट्रपति भवन के दक्षिण पश्चिम की ओर सुंदर तरीके के नियोजित किया गया है जो कि वृक्षीय और प्रतिष्ठित वातावरण में विभिन्न विदेशी मिशनों का समायोजन करता है। इन क्षेत्रों में और भी कई विकास कार्य किए गए हैं। विदेशी मिशन हेतु लागू और अर्बन डिजाइन स्टडीज पर आधारित दि.मु.यो.-2021 के मानदण्डों की अनुपालना उपयोग-ज़ोन आर.एफ. विदेशी मिशन में प्लीजेंट गार्डन सिटी के रख-रखाव हेतु की जानी चाहिए। |

 4. स्टेट भवन/स्टेट गेस्ट हाउसेस की विशेष आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, एजेंडा के पैरा 5.0 में यथा उल्लिखित, दिमुयों- 2021 के पैरा 4.4.3-1 में प्रस्तावित विकास नियंत्रण मानदंड को निम्नलिखित पैरा के साथ बदला जाएगा:

स्टेट भवन/स्टेट गेस्ट हाउसेस

अधिकतम ग्राउंड कवरेज 50%

अधिकतम एफ ए आर 200

अधिकतम ऊंचाई कोई प्रतिबंध नहीं (एएआई / अग्निशमन विभाग और अन्य वैधानिक / सुरक्षा मंजूरी से मंजूरी के अधीन जो समय-समय पर आवश्यक हो)

 जोन-डी के उप-ज़ोन डी-13, के मामले में अधिकतम ऊंचाई 26 मीटर रखी गई है (एएआई / अग्निशमन विभाग और अन्य वैधानिक / सुरक्षा मंजूरी से मंजूरी की शर्त पर होगी, जो समय-समय पर लेना आवश्यक है।)

**अन्य नियंत्रण**

निर्मित क्षेत्र के 100 वर्गमीटर प्रति 2 ई सी एस की दर से पार्किंग प्रदान की जाए।

उपर्युक्त पैरा 3 एवं 4 पर प्रस्ताव को शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए तुरंत भेजा जाए।

**मद सं 29/2016**

**दिल्ली में गैर अनुरूप क्षेत्रों में मौजूदा गोदाम क्लस्टरों के पुनर्विकास के लिए विनियम।**

**एफ.3(84)2010/एम पी**

अपर सचिव(श.वि), श्री विजेंदर गुप्ता, श्री सोमनाथ भारती, श्री सतीश उपाध्याय ने वास्तविकता, विनियमों में स्पष्टता की कमी, प्रस्ताव की गैर-व्यावहारिकता और अन्य संबन्धित मामलों के संबंध में मूल्यवान सुझाव दिये, जिन्हें आयुक्त(योजना), दिविप्रा द्वारा विधिवत रूप से नोट किया गया। इन वास्तविकताओं के व्यापक दृष्टि और स्थानीय निकायों द्वारा इन विनियमों के सीमलेस कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि निम्नलिखित समिति प्रारूप विनियमों कि रा रा क्षे, दिल्ली सरकार के विचार, विभिन्न संगठनों से प्रतिवेदनो, सभी अन्य संबन्धित मामलों कि जांच करे और जल्द से जल्द एक प्रारूप का प्रस्ताव करे। समिति में निम्नलिखित होंगे:-

|  |  |
| --- | --- |
| * अभियंता सदस्य
 | अध्यक्ष  |
| * श्री विजेंदर गुप्ता, विधायक
 | सदस्य |
| * श्री सोमनाथ भारती, विधायक
 | सदस्य |
| * डिविजनल आयुक्त, रा रा क्षे, दिल्ली सरकार
 | सदस्य |
| * आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम
 | सदस्य |
| * आयुक्त (योजना), दिविप्रा
 | सदस्य सचिव  |

**मद सं.30/2016**

**योजना जोन-डी में आने वाले जनपथ रोड, नई दिल्ली स्थित 7.76 एकड़ (3.14 हेक्टेयर) के भू उपयोग का सरकारी कार्यालय से आवासीय (गेस्ट हाउस) में प्रस्तावित परिवर्तन।**

**एफ.20(12)2015/एमपी**

एजेंडा में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। आपत्तियों / सुझावों को आमंत्रित करने वाले सार्वजनिक नोटिस जारी किए जाएंगे।

**मद सं.31/2016**

**दिल्ली के हानिकारक अपशिष्ट के लिए ट्रीटमेंट स्टोरेज और निपटान सुविधा (टी एस डी एफ) के लिए प्रावधानों के संदर्भ में दिल्ली मुख्य योजना -2021 में प्रस्तावित संशोधन।**

**एफ.20(08)2015/एमपी**

एजेंडा में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। मामले को शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए तुरंत भेजा जाए।

**मद सं.32/2016**

**जोन-एम, फेज IV और V, सेक्टर -33, रोहिणी परियोजना में 8.90 हैक्टे. क्षेत्र के भूमि उपयोग का ‘मनोरंनात्मक’ से सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं (पीएसई) खेल परिसर में परिवर्तन।**

**एफ.20(18)2015-एमपी**

एजेंडा में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। आपत्तियों / सुझावों को आमंत्रित करने वाले सार्वजनिक नोटिस जारी किए जाएं।

**मद सं.33/2016**

**220 केवी ग्रिड स्टेशन स्थापित करने के लिए दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को भूमि आबंटन करने के लिए संस्थानिक क्षेत्र, पंखा रोड के निकट्स्थ जनकपुरी में सड़क के 24 मीटर मार्गाधिकार रोड के साथ ‘उपयोगिता’ (यू-3 बिजली, सब स्टेशन) से मनोरंजनात्मक उपयोग (पी-2 जिला पार्क) 1.14 हेक्टेयर की भूमि के उपयोग का भूमि परिवर्तन।**

**एफ.6(17)2014-एमपी**

एजेंडा में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। मामले को शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए तुरंत भेजा जाए।

**मद सं.34/2016**

**सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं (पी एस 1) से ‘उपयोगिता’ (यू3) से योजना ज़ोन के-II (द्वारका) में 400 के.वी. ई एस एस के लिए 4 हेक्टेयर भूमि का दिमुयो-2021/क्षे वि यो में भूमि उपयोग के परिवर्तन के लिए प्रस्ताव, ।**

**एफ.20(34)2014-एमपी**

एजेंडा में शामिल प्रस्ताव को पैरा 6.1 में क्षेत्र का कॉलम ‘लगभग 4 हेक्टेयर को 4 हेक्टेयर मे बदला जाए, के अंतर्गत संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया। मामले को शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए तुरंत भेजा जाए।

**मद सं.35/2016**

**योजना जोन-डी में नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के लिए 'अक्षय उर्जा भवन' के निर्माण के लिए सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली के सामने 'आवासीय' से 'सरकार (सरकारी कार्यालय)' 1.12 हेक्टेयर (2.76 एकड़) के क्षेत्र के भूमि उपयोग का प्रस्तावित भूमि परिवर्तन ।**

**एफ.20(11)2015/एमपी**

 एजेंडा में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। मामले को शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए तुरंत भेजा जाए।

 **मद सं.36/2016**

**ठेका पूरा होने पर बढ़ाई गयी तिथि तक खण्ड -10 सीसी के अंतर्गत निर्धारित तिथि और भुगतान वृद्धि के विस्तार के बारे में ।**

**एफ.5(170)एफ ओ (एन ज़ेड )/डीडीए/2014-15**

 एजेंडा में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

**मद सं.37/2016**

**दिविप्रा कर्मचारिओं परोपकारी फंड स्कीम के कारण कवरेज और योगदान में वृद्धि ।**

**एफ.11(6)2016/वेलफेयर**

 एजेंडा में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

**मद सं.38/2016**

**वर्ष 2015-16 के लिए सार्वजनिक परिसरों (अनधिकृत कब्जेदारों को हटाना) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत वसूल किए जाने वाले क्षति के लिए दरों में संशोधन।**

**एफ.1(मिस)/डेमेज/अकाउंटस/2007-08/पार्ट.**

 एजेंडा में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

**मद सं.39/2016**

**वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए नरेला के संबंध में पूर्व-निर्धारित दरों (पी दी आर) का निर्धारण।**

**एफ.4(48)2015/ए ओ (पी)/डीडीए**

 एजेंडा में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

**मद सं.40/2016**

**वित्त वर्ष 2016-17 हेतु टीकरी कलां के संबंध में पूर्व निर्धारित दरों (पी.डी.आर.) को नियत करना।**

**एफ.4.(49)2014/ए.ओ.(पी)/डीडीए**

 एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

**मद सं.**41**/2016**

**वित्त वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 हेतु रोहिणी फेज IV एवं V के संबंध में पूर्व निर्धारित दरों (पीडीआर) का निर्धारण।**

**एफ.4(47)2015/एओ(पी)/डीडीए**

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

**मद सं.42/2016**

1. **वर्ष 2016-17 हेतु व्यावसायिक एवं औद्योगिक सम्पत्तियों के संबंध में लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन प्रभारों की गणना के उद्देश्य से दरों का निर्धारण।**
2. **वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 हेतु मल्टी लेवल पार्किंग के अन्तर्गत क्षेत्र के संबंध में लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन प्रभारों की गणना के उद्देश्य से दरों का निर्धारण।**

**एफ.2(34)99/एओ(पी)/डीडीए/पार्ट**

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

**मद सं.43/2016**

**वर्ष 2016-17 हेतु सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत वसूलीयोंग्य क्षतिपूर्ति हेतु दरों का संशोधन।**

**एफ.1(मिस्ले.)/क्षतिपूर्ति/एकाउन्ट/2016-17/पार्ट**

 एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

**मद सं.44/2016**

**वर्ष 2016-17 हेतु दुरूपयोग प्रभारों की गणना के उद्देश्य से भूमि दरों का निर्धारण।**

**एफ.2.(14)96-97/एओ(पी)/डीडीए/पार्ट-II**

 एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। जन हित में यह भी निर्णय लिया गया कि दुरूपयोग और अन्य प्रभारों की गणना के लिए एक-एक सरलीकृत व्यवस्था को अगली प्राधिकरण बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

 इसके अतिरिक्त, दुरूपयोग प्रभारों के रूप में पिछले तीन वर्षों में दिल्ली नगर निगम और दि.वि.प्रा. द्वारा अलग-अलग एकत्रित की गई राशि की प्राधिकरण की अगली बैठक में सूचित किया जाना जरुरी है।

**मद सं.45/2016**

**आय कर विभाग को किए गए आपातिक/अनिवार्य भुगतान के संबंध में।**

**एफ-6(13)2013-14/लेखा (मुख्य)/दि.वि.प्रा.**

एजेंडा मद में दी गई सूचना को प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया।

**मद सं.46/2016**

**सीएयू/प्रभागों की लेखापरीक्षा करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सीए फर्मों/ आईपीएआई लेखापरीक्षकों को भाड़े पर लेना और उनको भुगतान करना।**

**एफ.6(38)2014-15/एकाऊ(एम)/खंड-III**

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया।

**मद सं.47/2016**

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण करने के बाद वित्तीय वर्ष 2014-15 के संबंध में दि.वि.प्रा. की वार्षिक लेखाओं को स्वीकार करना।**

**एफ.6(6)/ए/सीएस(एम) /2015-16ए/एकाऊं(एम)2014-15/दि.वि.प्रा.**

वित्तीय वर्ष 2014-15 के संबंध में प्राधिकरण की वार्षिक लेखाओँ के लिए महानिदेशक लेखा परीक्षा आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों द्वारा प्रमाणित किए अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट के स्वीकारण को इस प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया।

**मद सं.48/2016**

**वर्ष 2015-16 के लिए संशोधित बजट प्राक्कलन और वर्ष 2016-17 के लिए बजट प्राक्कलन।**

**एफ.4(3)बजट/2015-16/आरई**

वर्ष 2015-16 के लिए प्रस्तावित संशोधित बजट प्राक्कलनों (अनुमानों) और वर्ष 2016-17 के लिए बजट प्राक्कलनों को अनुमोदित किया गया। यह अनुमोदन प्राधिकरण संशोधित बजट प्राक्कलन 2015-16 के लंबित पुष्टिकरण की उपयोगिता के लिए प्रदान किया गया, जो कि प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त में पुष्टि के लिए लंबित था।

**मद सं.49/2016**

**नजूल खाते (एकाऊं)-II का तुलन पत्र तैयार करना**

**एफ.6(10)2013-14/एकाऊं(एम)/दि.वि.प्रा.**

एजेंडा मद में दिए गए प्रस्ताव को इस निदेश के साथ अनुमोदित किया गया कि तुलन पत्र को शीघ्र तैयार किया जाए।

**मद सं.50/2016**

**सेक्टर-23, द्वारका से सटे पोचनपुर गाँव के सामुदायिक हॉल की मार्फत् योजना की निधियों का विनियोजन।**

**एफ.3(116)/एफ.ओ.से.सी.ई.(द्वारका)2015-16**

 एजेंडा मद में दिए गए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

**मद सं.51/2016**

**माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सी.सी.पी. संख्या 339/2008 में पारित दिनांक 16.02.2016 के आदेश के निर्देश के अनुसार संमति सभा, अमरीकन एम्बेसी इंडियन इम्पलाइज़ को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटिड, प्रियदर्शनी विहार के दिनांक 31.08.2015 के अभ्यावेदन पर निर्णय।**

**एफ.3.(39)2001/एमपी**

 तथ्यों, परिस्थितियों और मामले की मूल वास्तविकताओं और दिनांक 11.01.2016 की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट और विचाराधीन मामले के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबे समय से चल रहे मुकदमें को भी ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने वर्तमान आंचलिक भिन्न दर के अनुसार भूमि के पार्सल की लागत का भुगतान करने और उक्त प्लॉट के आबंटन के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन (के अनुसार) इंस्टीट्यूशनल आबंटन की धार्मिक/सामाजिक-सांस्कृतिक श्रेणी के अंतर्गत मंदिर और सतसंग भवन के लिए सतसंग सभा (regd) और अमरीकन एम्बेसी इंडियन एम्पलाइज़ को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटिड के प्रियदर्शनी विहार में स्थित 926 वर्ग मीटर (लगभग) माप वाले प्लॉट के आबंटन/विनियमन के अनुमोदन के लिए एक विशेष मामले के रूप में इसका समाधान किया। इसे पूर्व उदाहरण के रूप में नहीं समझा जाएगा।

 तद्नुसार, प्राधिकरण के निर्णय को अमरीकन एम्बेसी इंडियन एम्पलोइज़ को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, प्रियदर्शनी विहार, दिल्ली के ले आउट प्लान (विन्यास योजना) में शामिल किया जाए।

 सभी संबद्ध व्यक्तियों को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में निर्णय की तत्काल सूचना दी जायेगी।

**मद सं.52/2016**

**दिल्ली शहरी विरासत (हेरिटेज) फाउंडेशन संघ की अधिसूचना में आशोघन**

**एफ.3.(114)/2013-एचयूपीडब्ल्यू/एसए(डब्ल्यूज़ैड और डी)/भाग**

दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 के अधीन जनता और अन्य पणधारियों (स्टेक होल्डरों) से विचार/सुझाव आमंत्रित करने के लिए एजेंडा में दिए गए अनुसार प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। यह सार्वजनिक सूचना तत्काल जारी की जाये।

**मद सं.53/2016**

**अस्पतालों में प्रतीक्षालय/स्वागत कक्ष के संबंध में एमपीडी-2021 में प्रस्तावित आशोघन**

**एफ.13(02)/2013-एमपी**

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए यह मामला शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को तत्काल भेजा जाये।

**मद सं.54/2016**

**जोन जे में इग्नू परिसर के समीप मैदान गढ़ी में स्थित ठोस कचरा प्रबंधन सुविधा हेतु ‘आवासीय’ भूमि उपयोग और ‘सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं (पीएसआई)’ से जनोपयोगी सेवाओं (यू-4) के लिए साइट मापन 3.74 हैक्टेयर (9.25 एकड़) के भूमि उपयोग में परिवर्तन**

**एफ.3(12)/2014/एमपी**

विचार विमर्श करने के पश्चात् इस संबंध में प्राप्त की गई सभी आपत्तियों/सुझावों की सुनवाई करने के लिए प्राधिकरण ने जांच और सुनवाई बोर्ड को एक अलग से बोर्ड की बैठक आयोजित करने के लिए प्रस्ताव देखने के लिए कहा।

1. दक्षिण दिल्ली नगर निगम प्रस्तावित साइट का इस्तेमाल करने के लिए अत्याधुनिक प्रविधियों पर मूल संरचना/संक्लपना (बेस पेपर) और प्रेजेंटेशन तैयार करेगा।
2. संबद्ध मुख्य इंजीनियर, एसडीएमसी बोर्ड बैठक में प्रेजेंटेशन देंगे।

जांच और सुनवाई बोर्ड प्राधिकरण को बैठक की सिफारिशे विचारार्थ पुनःप्रस्तुत करेंगे।

**मद सं.55/2016**

**श्री आरसी मेंदीरत्ता, सहायक लेखा अधिकारी पर लगाये गये दण्ड आदेश के खिलाफ दि.वि.प्रा. के आचरण आनुशासनिक और अपील विनियम 199 के विनियम 33 के अधीन रिव्यू याचिका**

**एफ.27(14)/05-ई.ई.(सतर्कता)-V**

 श्री मेंदीरत्ता ने दिनांक 04.06.2015 की रिव्यू याचिका के द्वारा दि.वि.प्रा. के आचरण, आनुशासनिक और अपील विनियम, 1999 की नियमावली 33 के अधीन इस आधार पर समीक्षा करने का अनुरोध किया है कि इस प्रकार के मामलों में शामिल अन्य सहायक लेखा अधिकारियों पर लगाया गए दण्ड उन पर लगाये गये दण्ड से कमतर था। अतः उनकी रिव्यू समीक्षा पर विचार विमर्श किया गया और यह पाया गया कि उनके द्वारा ऐसा कोई नया तथ्य/साक्ष्य नहीं दिया गया है, जिसकी दि.वि.प्रा. आचरण नियमावली 1999 के विनियम के अधीन समीक्षा हेतु मूल अपेक्षा हो।

 अतः श्री मेंदीरत्ता की रिव्यू याचिका विचारणीय नहीं है और आनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उन पर लगाया गया दण्ड यथावत रहेगा। तद्नुसार, प्राधिकारी के समक्ष उनकी रिव्यू याचिका का निपटान किया जाता है।

**मद सं.56/2016**

**जोन एफ, डीएमआरसी सरिता विहार डिपो के पीछे, मथुरा रोड स्थित दि.वि.प्रा. भूमि के लिए वाणिज्यिक (सी-2) से ‘सार्वजनिक व अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं’ के लिए क्षेत्र मापन 1.83 हेक्टेयर के भूमि उपयोग का प्रस्तावित परिवर्तन**

**एफ.3(32)96/एमपी**

 एजेंडा मद में दिए गए प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना तत्काल जारी की जाये।

**अन्य मद**

**दिल्ली विकास प्राधिकरण**

**की दिनांक 17.02.2016 को राज निवास, दिल्ली में आयोजित बैठक के दौरान प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा उठाये गए ‘अन्य मुद्दों’ पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट**

**सं.एफ2(2)2015/एमसी/डीडीए/भाग**

 प्राधिकरण की दिनांक 17.02.2016 को आयोजित बैठक के दौरान प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा उठाए गए ‘अन्य मुद्दों’ पर की गई कार्रवाई रिपोर्टों (एटीआर) को नोट किया गया।

 माननीय उप-राज्यपाल ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों का धन्यवाद दिया।

 अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।